कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–8599/3160 दिनांकः 4-12-18

सेवा में

वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल,
रोहतक ।

विषयः Diversion of 0.4589 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, Municipal Corporation, Karnal for construction of storm water RCC box type drain from Sector 6 Chowk to Augmentation (Bhakra) Canal on Karnal-Meerut road, R/side, under forest division and District Karnal, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Others/33905/2018
संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 3130 दिनांक 16–11–2018 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.4589 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सक्षम प्राधिकारी की सहमति/स्वीकृति उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

(iv) ''अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006'' की अनुपालना में सम्बन्धित जिलाधीश की ओर से प्रमाण पत्र प्राप्त करके तुरन्त इस कार्यालय को भेजें ।

(v) प्रस्ताव में NHAI/PWD B&R का एन0ओ0सी0 नहीं है जो कि अब भेजा जाए ।

उपर्युक्त शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए तथा अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि पर कार्य नहीं किया जाना चाहिए ।

4/12/18

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एफ0सी0ए0 व केम्पा)
कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. वन मण्डल अधिकारी, करनाल ।
2. Executive Engineer, Municipal Corporation, Karnal.